पत्र संख्या-वा0अनु0/परिपत्र/**2025-26/** 1096
/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(वाद अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 08 अक्टूबर, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उ0प्र0।

मुख्यालय के विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से फील्ड में कार्यरत विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे नोटिस एवं पारित आदेश को त्रुटिहीन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत कई रिट याचिकाओ के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट टैक्स संख्या-4437/2025, M/S SRI TRADERS VS STATE OF UTTAR PRADESH AND 2 OTHERS के वाद में दिनांक 11.09.2025 **(प्रति संलग्न)** को पारित अंतरिम निर्णय के क्रम में फील्ड में कार्यरत विभागीय अधिकारियों हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

1. प्रतिशपथ पत्र/शपथ पत्र दाखिल करने संबंधी न्यायालय के निर्देशों का पालन निर्धारित समयसीमा के भीतर अवश्य किया जाए तथा इसके लिए स्थगन की मांग नहीं की जाएगी।
2. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेशों एवं उ0प्र0 जी0एस0टी0 अधिनियम/नियमावली, शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का पालन राज्य जी0एस0टी0 अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर आदेश पारित करते समय अवश्य किया जाये।

अतः समस्त अधिकारी माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय उपरोक्त वर्णित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे, जिससे पारित आदेशों में कोई विधिक कमी/त्रुटि न रहे ।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समुचित विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 07-10-2025
18:57:22

(डा० नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. - अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
3. - संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2069
श्रीमती प्रतिमा

Digitally signed by
Akhilesh Kumar Singh
Date: 08-10-2025
11:02:27

संयुक्त आयुक्त (वाद)राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।